न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 20/2005 अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :– 1. इन्द्रमान पुत्र बख्तावर जाति अहीर निवासी गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

1/1. वीरसिंह पुत्र इन्द्रमान जाति यादव निवासी गण्डाला तह0 बहरोड

1/2. कृष्णा पुत्री इन्द्रमान पत्नि धर्मवीर यादव निवासी ग्राम झुक त्हसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

1/3 मोनादेवी पुत्री इन्द्रमान पत्नि मालाराम यादव निवासी ग्राम झुक त्हसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

1/4. लालीदेवी पुत्री इन्द्रमान पत्नि नामालूम निवासी ग्राम मांदी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

2. श्रीराम पुत्र बख्तावर जाति यादव निवासी गण्डाला (फौत)

2/1. चरणसिंह पुत्र श्रीराम जाति यादव निवासी गण्डाला

2/2. शांति देवी पुत्री श्रीराम यादव हाल निवासी ग्राम लीलोड तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा

3. महावीर सिंह पुत्र ओमकार सिंह जाति यादव निवासी ग्राम गण्डाला त्हसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांट

बनाम

1 अमृताकला बेवा छंगाराम जाति यादव निवासी गण्डाला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर

Scanned by CamScanner

2 कैला प्रसाद पुत्र छोटेलाल जाति महाजन निवासी मौमुखी महादेव मंदिर के पास, भरतपुर राजस्थान

3 मोहनसिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी हमीरपुर भवन, मेहताब सिंह का नौहरा, अलवर राजस्थान

4 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, अलवर

5 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बहरोड

अपील विरूद्ध तजबीज बाबत अलोटमैंट जिलाधीश, अलवर दिनांक 9.11.66

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दाताराम यादव

2. वकील रेस्पो0 :– श्री पवन कुमार यादव

निर्णय दिनांक 27/8/19

---

1 प्रस्तुत अपील जिलाधीश, अलवर के अलोटमैंट आदेश दिनांक 9.11.66 के खिलाफ है, जिसके द्वारा भारत पाक युद्ध के मृतक सैनिक नम्बर 32293 नायब सूबेदार छांगाराम की आश्रिता मु0 अमृत कला को ग्राम सीरावास तहसील अलवर के सुरक्षित रकबे में से 25 बीघा भूमि आवंटित की गई है ।

2 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि विपक्षी नम्बर 01 के प्रार्थना पत्र पर जिलाधीश महोदय, अलवर ने ग्राम सीरावास में जो आवंटन किया था, उसे रद्द करते हुये बहरोड तहसील के ग्राम गण्डाला के आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 3 बीघा, 2301 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 558 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, ग्राम जमालपुर के खसरा नम्बर 188 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, ग्राम दोसोद के खसरा नम्बर 1442 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, ग्राम खातीवास के खसरा नम्बर 8 मिन रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा आवंटित की गई थी । परन्तु रेस्पो0 संख्या 01 ने उसे जो ग्राम सीरावास तहसील अलवर के खसरा नम्बर 3212 रकबा 25 बीघा का आवंटन किया था, उसे धोखे से बयनामा दिनांक 26.8.92 द्वारा विक्रय कर दिया । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जो अलोटमैंट के नियम बनाये हैं, उनमें साफ तौर पर उल्लेख है कि आवंटन के नियमों का उल्लंघन करने पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

आवंटन निरस्त कर दिया जावे । रेस्पो० संख्या 01 ने अलोटमेंट आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए उसका अलोटमेंट दिनांक 11.6.70 जो ग्राम गण्डाला, जमालपुरा, दोसोद, खातीबास में किया गया था, उसे निरस्त किया जावे । जिला कलेक्टर, अलवर के समक्ष उक्त आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) प्रस्तुत किया, जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर दिनांक 31.10.2002 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि जिला कलेक्टर द्वारा किये गये अलोट आदेश के बाबत 14 (4) में कार्यवाही नहीं हो सकती । इसलिये यह अपील प्रस्तुत की है । उन्होंने तर्क दिये कि विवादित आदेश दिनांक 9.11.66 जो सीरावास की आराजी को आवंटित करने बाबत जारी किये तथा उस आदेश को निरस्त करते हुये एफ० 36 (10) राज066/7797-801 पारित कर दिया, परन्तु तहसीलदार, अलवर ने सीरावास की आराजी का वापिस कब्जा नहीं लिया । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 01 द्वारा अपीलांट के कथनों से इन्कार करते हुये अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

4 विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 02 व 03 का कथन है कि विवादित भूमि हमारी खरीदी हुई है । हमने एक खातेदार से भूमि खरीदी है और वक्त खरीद से काबिज हैं । हम सदभावी केता हैं । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । जिला कलेक्टर, अलवर के आदेश कमांक/एफ० 36 (10)/राज/66 दिनांक 9.11.66 द्वारा शहीद छंगाराम की पत्नि अमृतकला को ग्राम रूंध सीरावास तहसील अलवर जिला अलवर के आरक्षित रकबे में से 25 बीघा भूमि आवंटित की गई थी । इसके पश्चात जिला कलेक्टर, अलवर के कार्यालय आदेश कमांक/एफ 36 (10) राज/66 दिनांक 11.6.70 द्वारा तहसील बहरोड के ग्राम गण्डाला के खसरा नम्बर 2309, 2301, 558, ग्राम जमालपुर के खसरा नम्बर 188, ग्राम दोसोद के खसरा नम्बर 1442 तथा ग्राम खातीबास के खसरा नम्बर 8 मिन में कुल रकबा 25 बीघा का आवंटन मृ० अमृतकला को करते हुये ग्राम सीरावास में पूर्व में दिनांक 9.11.66 को आरक्षित रकबे में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया था ।

6 अपील प्रकरण का निस्तारण करने हेतु हमने तहसीलदार, अलवर से ग्राम सीरावास तहसील अलवर जिला अलवर की विवादित भूमि खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

3212 रकबा 25 बीघा के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की । तहसीलदार, अलवर ने पत्रांक 10455 दिनांक 21.8.2019 के द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट मय राजस्व दस्तावेज इन्तकाल नम्बर 72, इंतकाल नम्बर 211, इंतकाल नम्बर 387, जमाबन्दी सम्वत 2036–40, जमाबन्दी सम्वत 2041–44, जमाबन्दी सम्वत 2045–48, मिसल, जमाबन्दी सम्वत 2066–69, इंतकाल नम्बर 355, इंतकाल नम्बर 527, इंतकाल नम्बर 528, जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के अदालत हाजा को भिजवाई है । उक्त मौका रिपोर्ट में निम्न बिन्दू अंकित किये गये हैं :–

(1) जरिये नामांतकरण संख्या 72 दिनांक 7.9.74 साबिक खसरा नम्बर 32 रकबा 25 बीघा श्रीमति अमृतकला आश्रिता छंगाराम अलौटी गैर खातेदार को भूमि आवंटित की गई थी ।

(2) जरिये नामांतकरण संख्या 211 आवंटिति श्रीमति अमृतकला आश्रिता छंगाराम अलौटी गैर खातेदार साबिक खसरा नम्बर 32 रकबा 25 बीघा वाके ग्राम सीरावास का आवंटन निरस्तीकरण कर भूमि सिवायचक लगानी करने बाबत श्रीमान तहसीलदार,अलवर द्वारा दिनांक 19.12.78 को निर्णय किया गया । उक्त नामांतकरण पर श्रीमान तहसीलदार अलवर के निर्णय के नीचे पृथक से नोट श्रीमान एस0डी0ओ0 साहब अलवर द्वारा दिनांक 19.12.78 को आवंटन निरस्तीकरण के लिये तहसीलदार, अलवर सक्षम नहीं है, केवल जिलाधीश ही सक्षम है, अतः इस इंतकाल का अमल नहीं किया जावे, अंकित है ।

(3) मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2036–40 खाता संख्या 54/1 साबिक खसरा नम्बर 32 रकबा 25 बीघा बारानी दोयम श्रीमति अमृतकला बेवा..... .....कौम.....आश्रिता छंगाराम गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है । अतः नामांतकरण संख्या 211 आवंटन निरस्तीकरण का अमल जमाबन्दी सम्वत 2036–40 में नहीं किया गया ।

जरिये इंतकाल संख्या 387 दिनांक 6.6.84 साबिक खसरा नम्बर 32 रकबा 25 बीघा वाके ग्राम सीरावास श्रीमति अमृतकला बेवा ..... कौम ..... आश्रिता छंगाराम गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुये नवीन इन्द्राज अमृतकला बेवा छंगाराम अहीर साकिन देह खातेदार स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतकरण संख्या 387 खातेदारी का नोट जमाबन्दी सम्वत 2036–40 में अंकित है ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

(4) वक्त तहरीर चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2041–44 नामांतरण संख्या 387 का अमल करते हुये खाता संख्या 11 आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 25 बीघा बारानी दोयम वाके ग्राम सीरावास श्रीमति अमृतकला बेवा छंगाराम अहीर साकिन देह खातेदार इन्द्राज अंकित किया गया । उक्त इन्द्राजात जमाबंदी सम्वत 2045–48 में बदस्तूर अंकित है ।

(5) मुताबिक मिसल बंदोबस्त सम्वत 2051 साबिक खसरा नम्बर 32 मिन रकबा 25 बीघा हाल नम्बर 237 रकबा 67 एयर, 239 रकबा 13 एयर, 240 रकबा 25 एयर, 241 रकबा 14 एयर, 242 रकबा 18 एयर, 243 रकबा 36 एयर, 244 रकबा 65 एयर, 245 रकबा 15 एयर, 246 रकबा 8 एयर, 247 रकबा 45 एयर, 248 रकबा 60 एयर, 249 रकबा 90 एयर, 250 रकबा 50 एयर, 251 रकबा 70 एयर, 252 रकबा 25 एयर, 281 रकबा 30 एयर किता 16 रकबा 6.31 हेक्टेयर वाके ग्राम सीरावास कैला प्रसाद पुत्र प्यारेलाल जाति महाजन साकिन चौमूखा महादेव भरतपुर, मोहनसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत साकिन हमीरपुर भवन, महताबसिंह का नोहरा, अलवर हि0ब0 खातेदार दर्ज रिकार्ड है ।

मिसल बंदोबस्त सम्वत 2051 में श्रीमति अमृतकलां बेवा छंगाराम अहीर साकिन देह खातेदार के स्थान पर नवीन इन्द्राजात कैला प्रसाद पुत्र प्यारेलाल वगै0 का अंकन किस आधार पर दर्ज किये गये, इस बाबत कोई भी दस्तावेज भू0 अ0 शाखा तहसील अलवर में नहीं मिले ।

(6) जरिये इंतकाल नम्बर 254 दिनांक 21.6.06 मोहनसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह राजपूत साकिन हाजीपुर भवन महताबसिंह का नौहरा, अलवर खातेदार हिस्सा 1/2 की विरासत सुनीता पत्नि स्व0 मोहनसिंह अधिराजसिंह पुत्र मोहनसिंह जीया राठौड पुत्री मोहनसिंह ना0बा0 सरपरस्ती सुनीता माता खुद स0भा0 हिस्सा 1/2 सा0 हमीरपुर भवन महताबसिंह का नौहरा, अलवर के नाम दर्ज व स्वीकृत हुई थी ।

उक्त इन्द्राजात जमाबन्दी सम्वत 2060–63 तक बदस्तूर अंकित था ।

(7) जरिये इन्तकाल नम्बर 355 दिनांक 5.9.08 आराजी खसरा नम्बर 237/0.67, 239/0.13, 240/0.25, 241/0.14 वगै0 किता 16/6.31 वाके ग्राम सीरावास के खातेदारान कैला प्रसाद पुत्र प्यारेलाल जाति महाजन साकिन चौमुख महादेव भरतपुर हि0 1/2 सुनीता पत्नि स्व0 मोहनसिंह अधिराज सिंह पुत्र मोहनसिंह जीया राठौड पुत्री मोहनसिंह ना0बा0 सरपरस्ती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अलवर

Scanned by CamScanner

अलवर दिनांक: 21.8.19

सुनीता माता खुद स0भा0 हि0 1/2 जाति राजपूत सा0 हमीरपुर भवन महताबसिंह का नौहरा, अलवर हि0ब0 खातेदार द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा महेन्द्रसिंह यादव पुत्र प्यारेलाल यादव जाति अहीर सा0 ग्राम सोनाली तहसील मुण्डावर जिला अलवर खरीददार खातेदार को बेचान किया गया था (सम्पूर्ण हिस्सा)

(8) जरिये इंतकाल नम्बर 527 दिनांक 21.2.2013 खातेदार महेन्द्रसिंह पुत्र प्यारेलाल द्वारा अपने 1/2 हिस्से का बेचान रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा पवन गोयल पुत्र अशोक कुमार गोयल जाति महाजन सा0 15 मनुमार्ग, अलवर को किया गया ।

जरिये इंतकाल नम्बर 528 दिनांक 21.2.13 खातेदार महेन्द्रसिंह पुत्र प्यारेलाल द्वारा अपने हि0 1/2 का बेचान रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा मनीष गोयल पुत्र अशोक कुमार गोयल जाति महाजन सा0 मनुमार्ग अलवर खातेदार को किया गया ।

उपरोक्त नामांतकरण संख्या 527 व 528 का अमल चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में किया गया ।

(9) मुताबिक ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में विवादित आराजीयात किता 16 रकबा 6.31 वाके ग्राम सीरावास पवन मनीष पिसरान अशोक कुमार गोयल जाति महाजन सा0 15 मनुमार्ग अलवर खातेदार दर्ज है ।

(10) उपरोक्त आराजीयात का मौका देखा गया । मौके पर उपस्थित ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि उपरोक्त आराजीयात पर वर्तमान में खातेदारान पवन व मनीष पुत्रान अशोक कुमार गोयल का कब्जा काश्त है ।

7. इसके पश्चात तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । जिलाधीश,अलवर के कार्यालय आदेश कमांक एफ0 36 (10) राज/66 दिनांक 9.11.66 के द्वारा पाक युद्ध के मृतक सैनिक नम्बर 32293 नायब सुबेदार छंगाराम की आश्रिता मु0 अमृतकला को रूंध सीरावास तहसील अलवर के सुरक्षित रकबे में से 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था ।

8. जिलाधीश, अलवर के कार्यालय आदेश कमांक एफ0 36 (10)राज/66 दिनांक 11.6.70 के अनुसार उक्त अमृतकला को तहसील बहरोड के ग्राम गण्डाला के आराजी खसरा नम्बर 2309, 2301, 558, ग्राम जमालपुर के आराजी खसरा नम्बर 188, ग्राम दोसोद के आराजी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 1442, ग्राम खातीवास के आराजी खसरा नम्बर 8 मिन कुल रकबा 25 बीघा का आवंटन किया गया था तथा ग्राम सीरावास में पूर्व में अमृतकला को किया गया आवंटन निरस्त किया गया था ।

9. जिलाधीश, अलवर के उपरोक्त दोनों कार्यालय आदेशों के अवलोकन से सिद्ध है कि अमृतकला को पूर्व में ग्राम सीरावास की विवादित भूमि का आवंटन किया गया था । बाद वर्ष 1970 में सीरावास की भूमि का आवंटन निरस्त कर तहसील बहरोड के ग्राम गण्डाला, जमालपुर, दोसोद व खातीवास में कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था ।

10. तहसीलदार, अलवर द्वारा पटवारी हल्का की जो मौका रिपोर्ट एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज भिजवाये गये हैं, उनके अनुसार ग्राम सीरावास की विवादित भूमि के आवंटन का निरस्तीकरण का जो नोट तत्कालीन तहसीलदार, अलवर द्वारा लगाया गया था, उस नोट को तत्कालीन एस0डी0ओ0 अलवर ने यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि निरस्तीकरण का नोट लगाने के लिये तहसीलदार, अलवर सक्षम नहीं है । इस प्रकार निरस्तीकरण का नोट लगाने से रह गया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार इन्तकाल नम्बर 387/6.6.84 द्वारा ग्राम सीरावास की विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 32 रकबा 25 बीघा पर अमृतकला को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत 2036–40 में दर्ज हुआ है । इसके बाद उक्त विवादित भूमि का विभिन्न इंतकालों द्वारा विभिन्न लोगों कैला प्रसाद वगैरा के नाम हस्तांतरित होती रही है ।

11. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में सारगर्भित निष्कर्ष यही निकलता है कि दिनांक 9.11.1966 को अमृतकला को ग्राम सीरावास की विवादित भूमि का आवंटन किया गया था । इसके बाद दिनांक 11.6.70 को तहसील बहरोड के ग्रामों गण्डाला, जमालपुर, दोसोद व खातीवास की आराजीयात कुल रकबा 25 का आवंटन अमृतकला को किया जाकर ग्राम सीरावास में पूर्व में उसको किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया था । परन्तु उक्त निरस्तीकरण का अमल जमाबन्दी में न होने के कारण ग्राम सीरावास की विवादित भूमि पर अमृतकला को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद विवादित भूमि का विभिन्न लोगों को हस्तांतरण होता रहा । अमृतकला शहीद सैनिक की पत्नि है और उसे तहसील बहरोड के ग्रामों में कुल 25 बीघा भूमि आवंटित हो गई थी तो ऐसी स्थिति में ग्राम सीरावास में आवंटन निरस्त होने के बाद विवादित भूमि वाके ग्राम सीरावास पर उसका कोई हक नहीं रह जाता है । परन्तु उसने विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर कैला प्रसाद वगैरा को भूमि प्रतिफल लेकर हस्तांतरित कर दी । कैला प्रसाद वगैरा की खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने प्रतिफल देकर एक खातेदार से भूमि प्राप्त की है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

और काफी वर्षो से भूमि पर काबिज खातेदार है । इतने वर्षों बाद उनकी खातेदारी निरस्त किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । जहां तक अमृतकला का प्रश्न है, वह शहीद सैनिक की पत्नि होने के नाते दो लाभ नहीं ले सकती । उसे केवल 25 बीघा का आवंटन कराने का अधिकार है और उसे 25 बीघा भूमि तहसील बहरोड में मिल चुकी है । ऐसी स्थिति में ग्राम सीरावास की विवादित भूमि का लाभ लेने का उसे कोई अधिकार नहीं था, परन्तु उसने विवादित भूमि ग्राम सीरावास की भूमि का प्रतिफल लेकर हस्तांतरण कर दिया, जो सरकार द्वारा आश्रितों को अनुकम्पात्मक रूप में दिये गये आवंटन का दुर्भावनापूर्ण, असदभावी व बदनिदयती से दुरूपयोग सिद्ध होता है । लिहाजा हम वर्तमान डी0 एल0 सी0 की दर से विवादित भूमि रकबा 25 बीघा वाके ग्राम सीरावास तहसील अलवर जिला अलवर की वसूली अमृतकला से किया जाना न्यायसंगत समझते हैं ।

12. अतः अपील अपीलांट इस प्रकार स्वीकार की जाती है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 32 हाल नम्बर 237 रकबा 67 एयर, 239 रकबा 13 एयर, 240 रकबा 25 एयर, 241 रकबा 14 एयर, 242 रकबा 18 एयर, 243 रकबा 36 एयर, 244 रकबा 65 एयर, 245 रकबा 15 एयर, 246 रकबा 08 एयर, 247 रकबा 45 एयर, 248 रकबा 60 एयर, 249 रकबा 90 एयर, 250 रकबा 50 एयर, 251 रकबा 70 एयर, 252 रकबा 25 एयर, 281 रकबा 30 एयर कुल किता 16 कुल रकबा 6.31 हेक्टेयर वाके ग्राम सीरावास तहसील अलवर जिला अलवर की डी0 एल0 सी0 की दर से रेस्पो0 अमृतकला से राशि वसूल की जावे । वसूली हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ श्रीमान जिला कलेक्टर, अलवर को पत्र लिखा जावे । प्रकरण की प्रशासनिक जांच एवं आपराधिक कार्यवाही पर श्रीमान जिला कलेक्टर, अलवर स्वयं निर्णय करें । तहसीलदार, अलवर को भी सूचनार्थ एवं निर्णय की पालना कराने हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाते हुये पत्र लिखा जावे ।

13. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner